

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-6, द्वितीय से पंचम तल

डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक:- रास्कृशिप/जय/वै.शि./ /RSTC दिशा-निर्देश2024-25/ 1634

दिनांक-20-6-24

आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (6 माह) दिशा-निर्देश सत्र 2024-25

उद्देश्य:-

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा अथक प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि 06 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करवायी जाये। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 4 एवं राजस्थान के आरटीई नियम 2011 के नियम 6 में शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं (OoSC) को आयु अनुरूप कक्षा की दक्षता प्राप्त करने हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उक्त प्रावधान की क्रियान्विति हेतु सत्र 2023-24 में प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यालय में नामांकित करवाये गये शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाएं, जिनकी सूचना प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्ट की गयी है। ऐसे विद्यार्थियों की आयु अनुरूप शैक्षिक दक्षता विकसित करने हेतु सत्र 2024-25 में 6 माह का आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का संचालन किया जाना है। आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर निम्नलिखित दिशा निर्देशानुसार संचालित किये जाने हैं -

सामान्य कार्य प्रक्रिया:-

- गत सत्र 2023-24 में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान चिह्नित कर विद्यालय में नामांकित करवाये गये शिक्षा से वंचित बच्चों को उनकी आयु अनुरूप शैक्षिक दक्षता को ध्यान में रखते हुये 6 माह के आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर की आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया था।
- उक्त विद्यार्थियों का शैक्षिक विवरण एवं आवासीय विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता का विवरण ब्लॉक कार्यालय की प्रबन्ध पोर्टल आई.डी. के माध्यम से प्रबन्ध पोर्टल पर सत्र 2024-25 के लक्ष्य हेतु प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा चुका है। तदनुसार जिलावार लक्ष्य संलग्न है।
- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ प्रशिक्षणार्थी संख्या एवं शिविर स्थल को ध्यान में रखकर शिविरों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।
- बालक-बालिकाओं हेतु 6 माह की अवधि वाले आवासीय शिविरों का संचालन पृथक-पृथक किया जाना है।

(2) विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु पात्र बालक-बालिकाओं की संख्या एवं शिविरों का निर्धारण:-

- पीईईओ एवं यूसीईईओ (सीआरसी) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यालय के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु पात्र विद्यार्थियों के अभिभावकों की इस विषय में सहमति प्राप्त करेंगे कि वे अपने पुत्र/पुत्री को आवासीय विशेष प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं। सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी) 6 माह की अवधि वाले आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।
- आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिये न्यूनतम 25 विद्यार्थियों के लिए एक शिविर आयोजित किया जाएगा अर्थात् शिक्षा से वंचित 25 विद्यार्थियों के प्रत्येक समूह के लिए एक शिविर संचालित होगा। बालक-बालिकाओं की संख्या 25 से कम होने पर उन प्रशिक्षणार्थियों में कक्षा स्तर अनुरूप दक्षता का विकास करने के लिए उन्हें उस परिक्षेत्र में संचालित अन्य आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में अध्ययन हेतु शामिल किया जायेगा, पृथक से शिविर संचालित नहीं होगा।
- एक शिविर में अधिकतम 49 विद्यार्थी निवास कर सकेंगे।
- बालक एवं बालिकाओं के लिये पृथक-पृथक शिविर संचालित किये जायेंगे।

- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी) संस्था प्रधान; प्राप्त प्रशिक्षणार्थी संख्या एवं शिविर स्थल को ध्यान में रखकर शिविरों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।
- संबंधित विद्यालय के शिक्षक निर्धारित प्रारूप (संलग्न परिशिष्ट-2 के अनुसार) में बालक-बालिकाओं के आवेदन पत्र भरवाकर संधारित करेंगे।

(3) शिविर स्थल का चयन एवं शिविर संचालन प्रस्ताव तैयार करवाना:-

- प्रशिक्षित किये जाने वाले शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की संख्या, सुविधा एवं स्थान की उपलब्धता अनुसार शिविर स्थल का चयन सीआरसी द्वारा किया जायेगा। स्थल चयन करते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाये:-
 - आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर यथा संभव राजकीय विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन या समाज द्वारा उपलब्ध कराये गए ऐसे भवनों में संचालित किये जायेंगे जो बालक/बालिकाओं की संख्या अनुसार उपयुक्त एवं सुरक्षित, यथा संभव बिजली, पानी एवं शौचालय की समुचित सुविधा युक्त होंगे।
 - यदि उक्तानुसार भवन उपलब्ध नहीं हो तो पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सीबीईओ; किराये पर भवन लेने की स्वीकृति जारी करेंगे। किराये पर लिए गए भवन के किराये की व्यवस्था जन-सहयोग से की जायेगी।
 - यदि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय विशेष में 25 से कम हो तो ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ(सीआरसी) द्वारा उनके क्षेत्राधिकार स्थित अन्य विद्यालय के विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम विद्यार्थी संख्या वाले विद्यालय/बहुसंख्य विद्यार्थियों के आवास स्थान के नजदीक के स्थान का प्रशिक्षण स्थल के रूप में चयन किया जायेगा।
 - इच्छुक बालक-बालिकाओं की संख्या कम होने की स्थिति में अभिभावकों की सहमति से पूरे ब्लॉक में एक ही आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का भी संचालन किया जा सकता है।
- स्थान के चयन उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी) जिस विद्यालय में शिविर संचालन किया जाना है उसकी या विद्यालय भवन से भिन्न स्थान का चयन होने पर उस चयनित स्थान के निकटतम स्थित राजकीय विद्यालय की एस.एम.सी. के माध्यम से शिविर संचालन का प्रस्ताव परिशिष्ट-1 के अनुसार तैयार कर सीबीईओ के माध्यम से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करवायेंगे।
- एडीपीसी; आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 7 दिवस में जाँच कर तदनुसार अनुमोदन कर प्रस्ताव की स्वीकृति जिला परियोजना समन्वयक से करवा कर सम्बन्धित सीबीईओ के माध्यम से सम्बन्धित शहरी/ग्रामीण सीआरसी को सूचित करेंगे।
- प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होते ही ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी); आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर की समस्त तैयारी एवं आवश्यक व्यवस्था आदि कर एस.एम.सी. के माध्यम से शिविर संचालन प्रारम्भ करेंगे, शिविर आरम्भ दिनांक से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सीबीईओ को सूचित करेंगे।

(4) शैक्षिक व्यवस्था:-

- आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में शैक्षिक कार्य प्रशिक्षित योग्य एज्यूकेशन वॉलन्टियर (E.V.) द्वारा किया जावेगा।
- आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में बालक-बालिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु एक एज्यूकेशन वॉलन्टियर एवं एक सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर नियुक्त किया जायेगा।
- एज्यूकेशन वॉलन्टियर का चयन-
 - एज्यूकेशन वॉलन्टियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर चयन की प्रक्रिया एस.एम.सी. द्वारा पात्र बालक-बालिकाओं की संख्या निर्धारित होने के बाद आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रस्ताव भिजवाने के साथ प्रारम्भ कर दी जावे ताकि प्रस्ताव स्वीकृत होते ही शिविर प्रारम्भ किये जा सके।

- एज्युकेशन वॉलन्टियर व सहायक एज्युकेशन वॉलन्टियर के प्रभावी चयन हेतु आवश्यक संख्या, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य, देय मानदेय, योग्यता/ चयन के आधार के संबंध में एस.एम.सी. द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, ग्राम पंचायत/ नगरपालिका कार्यालय आदि में नोटिस चरथा कर व अन्य माध्यम से किया जाये।
 - ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के ग्रीईईओ के निर्देशन में एसएमसी के माध्यम से एज्युकेशन वॉलन्टियर (EV) का चयन किया जायेगा।
 - चयन कार्य में पारदर्शिता रखते हुए कार्य के प्रति समर्पित निष्ठावान व्यक्ति का चयन किया जाए।
 - एज्युकेशन वॉलन्टियर का कार्य करने हेतु एक से अधिक EV उपलब्ध होने पर तालिका 02 पर वर्णित अंकभार के अनुसार मैरिट निर्धारित कर चयन किया जायेगा।
 - एज्युकेशन वॉलन्टियर की योग्यता सारणी 02 के अनुसार BSTC/B.Ed. होनी अनिवार्य है।
 - एज्युकेशन वॉलन्टियर चयन हेतु प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्ति को वरीयता दी जाये।
 - एज्युकेशन वॉलन्टियर के चयन हेतु एस.एम.सी. एक पैनल तैयार करेगी एवं पैनल से मैरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को एज्युकेशन वॉलन्टियर हेतु नियुक्त करेगी।
- सहायक एज्युकेशन वॉलन्टियर का चयन—
- सहायक एज्युकेशन वॉलन्टियर का चयन अनिवार्यतः तालिका 02 पर वर्णित अंकभार के आधार पर मैरिट निर्धारित कर किया जायेगा।
 - सहायक एज्युकेशन वॉलन्टियर के लिये स्नातक होना अनिवार्य है। यदि स्नातक + प्रशिक्षित (BSTC/B.Ed.) योग्यताधारी एवं मात्र स्नातक योग्यताधारी आवेदन करते हैं। साथ ही दोनों आवेदनकर्ताओं के प्राप्तांक समान हैं तो स्नातक + प्रशिक्षित योग्यताधारी को वरीयता दी जाये।

तालिका 02

योग्यता	प्रतिशत	अंक भार	
		एज्युकेशन वॉलन्टियर हेतु	सहायक एज्युकेशन वॉलन्टियर हेतु
दसवीं	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक	3 अंक
बारहवीं	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक	3 अंक
BSTC/ B.Ed.	प्रथम श्रेणी	5 अंक	
	द्वितीय श्रेणी	3 अंक	
	तृतीय श्रेणी	1 अंक	
स्नातक	60 व 60 से अधिक प्रतिशत		5 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक		3 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक		1 अंक
साक्षात्कार	—	5 अंक	5 अंक
कुल अंक		30 अंक	30 अंक

➤ मानदेय भुगतान:—

- एज्युकेशन वॉलन्टियर एवं सहायक एज्युकेशन वॉलन्टियर को प्रतिमाह दिये जाने वाले मानदेय में से 10 प्रतिशत का भुगतान बाह्य मुल्यांकन के बाद किया जायेगा।
- मानदेय का भुगतान एस.एम.सी.के माध्यम से किया जायेगा।

(5) शिक्षण, शिक्षण सामग्री एवं सामान्य निर्देश:—

- शिक्षक शिविर प्रारम्भ होने के प्रथम 5 दिवस में शिविर में नामांकित बालक-बालिकाओं हेतु अनुकूलन गतिविधियाँ करवायी जायेंगी। इस दौरान क्षेत्रीय खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य बाल मनोरंजक गतिविधियाँ संचालित कर बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि पैदा की जाकर शिविर में अनुकूलन की कार्यवाही होगी एवं प्रशिक्षणार्थियों का पोर्टफोलियो (परिशिष्ट-2 का प्रपत्र-2) एज्युकेशन वॉलन्टियर की सहायता से तैयार किया जायेगा।

- शिविर में प्रशिक्षित किये जा रहे प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी में वांछित शैक्षिक स्तर के अनुरूप पैदा हुई समझ एवं विकसित दक्षता का मूल्यांकन प्रतिमाह मानक मापदण्ड (लर्निंग इन्डीकेटर) अनुसार तैयार प्रश्न पत्र द्वारा किया जायेगा। यह प्रश्न पत्र पीईईओ एवं यूसीईईओ (सीआरसी) द्वारा मनोनित उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा तैयार किया जायेगा। उक्त मूल्यांकन का रिकार्ड एज्यूकेशन वॉलन्टियर द्वारा निर्धारित पोर्टफोलियो में रखा जायेगा।
- एज्यूकेशन वॉलन्टियर विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो प्रतिमाह अपडेट करेगा।
- वर्कबुक सेकषा 1 से 7 को आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पढ़ाया जाएगा।
- वर्कबुक विषयवार एवं कक्षावार वेबसाइट rajmsa.nic.in के पब्लिक डोमने (मुख्य पृष्ठ) पर उपलब्ध है।
- छः माह की अवधि के लिए संचालित शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों का बाह्य जाँच दल, जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रतिनिधि, पीईईओ (सीआरसी) तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा नागित आर.पी. सदस्य होंगे, द्वारा शिविर का त्रैमासिक मूल्यांकन सीखने के मानक मापदण्डानुसार किया जायेगा। प्रथम बाह्य मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर शिविर में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का निर्धारण कर आगामी कक्षा के संघनित पाठ्यक्रम/वर्कबुक के अनुसार अध्यापन कार्य करवाया जायेगा। द्वितीय बाह्य मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का निर्धारण कर नियमित अध्यापन-अध्यापन विद्यालय के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा।
- बालक-बालिकाओं को दोपहर का भोजन मिड-डे-मील योजनान्तर्गत मिलेगा। अतः मिड-डे-मील का अतिरिक्त पोषाहार शिविर संचालन स्थल वाले विद्यालय को आवन्तित किया जाये। उस विद्यालय को पोषाहार कम आवन्तित किया जाये जहाँ पर उन बालक-बालिकाओं का आयु अनुरूप कक्षा में नामांकन हुआ है।
- बालक-बालिकाओं को सांयकाल का भोजन एवं प्रातः नाश्ता तथा अवकाश के दिन दोपहर का भोजन भी आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में दिया जायेगा। एज्यूकेशन वॉलन्टियर, सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर तथा कुकु प्रशिक्षणार्थियों के साथ रहेंगे एवं भोजन करेंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर अवधि के दौरान शिविर संचालन स्थल की एसएमसी के संस्था प्रधान द्वारा शिविर में उपस्थित बालक-बालिकाओं एवं एज्यूकेशन वॉलन्टियर की उपस्थिति प्रतिदिन प्रमाणित की जाएगी।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर की अवधि के दौरान शिविर स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में शिविर स्थल का संस्था प्रधान द्वारा दो माह में एक बार अध्यापक-अभिभावकों की बैठक आयोजित की जाएगी। कार्यवाही विवरण का परिशिष्ट-3 के अनुसार रिकार्ड संधारण किया जाएगा। इस बैठक में एज्यूकेशन वॉलन्टियर, अभिभावक एवं एस.एम.सी. मिलकर शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की नियमित उपस्थिति, उनकी शैक्षिक उपलब्धि तथा शिविर संचालन में आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर समाधान खोजेंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में अध्यापन कराने वाले एज्यूकेशन वॉलन्टियर की एक दिवसीय मासिक बैठक का आयोजन ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ द्वारा नामित आर.पी. के द्वारा किया जायेगा। बैठक दिवस को शिविर संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी) के निर्देशन में शिविर स्थल की विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा की जायेगी। एज्यूकेशन वॉलन्टियर्स की मासिक बैठक में वैकल्पिक शिक्षा के कार्यक्रम प्रभारी (एपीसी) एवं आर.पी. शिविर संचालन संबंधी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे तथा एज्यूकेशन वॉलन्टियर के समक्ष प्रस्तुत शैक्षिक कठिनाइयों का निराकरण करेंगे तथा शिविर को बेहतर चलाने हेतु अपने सुझाव देंगे। शिविर का फीडबैक लिया जाकर बैठक की रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- कक्षा स्तर अनुरूप दक्षता हासिल करने के बाद नामांकित कक्षा की शैक्षिक मुख्याधारमें आये विद्यार्थीका पूर्ण विवरण शाला दर्पण पोर्टल/ प्रबन्ध पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण शिविर समाप्ति के पश्चात् की जाये। शिविर के संचालन सम्बन्धित दस्तावेजों कारिकार्ड सीआरसी कार्यालय में रखा जाये।
- आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में कार्यरत एज्यूकेशन वॉलन्टियर बालक/बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करें अन्यथा उनके मानदेय में निरीक्षण के समय अनुपस्थिति के आधार पर कटौती की जा सकेगी।
- केंजीबीवी की समय सारणी के अनुसार शिविरसंचालित किये जायेंगे।
- जो शिविर विद्यालय परिसर में चल रहे हैं, उनमें कार्यरत एज्यूकेशन वॉलन्टियर को संस्था प्रधान द्वारा अन्य कक्षाओं के अध्यापन का दायित्व दे दिया जाता है, जो अनुचित है। एज्यूकेशन वॉलन्टियर केवल विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक-बालिकाओं को ही अध्यापन कार्य करायेगा।

- विशेष प्रशिक्षण शिविर का सफल संचालन एवं उसकी व्यवस्था संबंधी समस्त उत्तरदायित्व तथा पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट मय अनुपालना रिपोर्ट के निरीक्षणकर्ता को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने संबंधी दायित्वग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी)का होगा।
- एज्यूकेशन वॉलन्टियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियरको कभी भी नियमित नहीं किया जा सकेगा।
- शीतकालीन तथा जिला कलक्टर/राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश एवं परिषद् से संचालित गतिविधि में सम्मिलित होने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं है।

(6) मॉनिटरिंग एवं समीक्षा:-

- विशेष प्रशिक्षण शिविर के इम्प्लिमेंटेशन/ मॉनिटरिंग एवं रिव्यू हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था निम्नानुसार होगी:-
 - ग्राम पंचायत/करन्वा स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समीक्षा की जायेगी। इस समिति में उन विद्यालयों से सम्बन्धित एक शिक्षक जिनके विद्यार्थी कक्षा स्तर अनुरूप दक्षता विकसित करने हेतु शिविर में पंजीकृत हैं सदस्य होंगे। यह कमेटी विशेष प्रशिक्षण शिविर के इम्प्लिमेंटेशन/ मॉनिटरिंग एवं वांछित सुधार हेतु उत्तरदायी रहेगी।
- मॉनीटरिंग कमेटी जिसमें सीबीईओ-अध्यक्ष, सीआरसी तथा अधिकतम प्रशिक्षणार्थी संख्या वाले विद्यालय का संस्थाप्रधान एवं शिविर संचालन करने वाली एसएमसी के अध्यक्ष तथा सचिव, सदस्य होंगे। मॉनीटरिंग कमेटी मासिक बैठक आयोजित कर शिविर का प्रबोधन करेगी एवं बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर जिला परियोजना कार्यालय को प्रेषित करेगी।
- आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के सफल संचालन हेतु परिषद् से जारी दिशा-निर्देशों की पालना में जिला, ब्लॉक एवं सीआरसी स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अवलोकन किया जाये।

(7) दायित्व निर्धारण :-

1. जिला/ब्लॉक/पीईईओ/यूसीईईओ स्तर के कार्यालयों, अधिकारियों के संयुक्त दायित्व -

- अपने जिले के 6-14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकार्ड रखना एवं उनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयास करना।
- आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों के संचालन से सम्बन्धित प्रस्ताव की जाँच कर अधिकतम शिविरों की संख्या निर्धारित कर अविलम्ब स्वीकृति जारी कर समग्र सूचना परिषद् मुख्यालय को प्रेषित करना।
- परिषद् कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना। अग्रिम राशि का निश्चित समयावधि में समायोजन कर रिकार्ड संधारण करवाना।
- शिविर में किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचित करना।
- संचालित शिविरों की सूचना भारत सरकार के प्रबन्ध पोर्टल पर सीबीईओ लॉगइन से STC मॉड्यूल (संलग्नक अनुसार) के अन्य रिपोर्ट प्रपत्रों में अनिवार्य रूप से अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- एज्यूकेशन वॉलन्टियर की अनुपस्थिति/प्रशिक्षण आदि में भाग लेने की दशा में विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- शिविर संचालन की समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं आवश्यक निर्देश जारी करना।
- शिविर समाप्ति पर समस्त अभिलेख सुरक्षित रखवाना।

2. डीपीसी/एडीपीसी का दायित्व :-

- जिले में संचालित आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों में से 15 प्रतिशत शिविरों का मासिक निरीक्षण करना।
- जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी द्वारा सभी विशेष प्रशिक्षण शिविरों का संचालन अवधि के दौरान एक बार औचक निरीक्षण करवाना।

3. सीबीईओ का दायित्व :-

- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ से प्राप्त विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ का प्रस्ताव अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
- ब्लॉक में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर अविलम्ब समग्र सूचना जिला मुख्यालय को प्रेषित करना।

- विशेष प्रशिक्षण शिविरों का शत-प्रतिशत निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन कर तथा निरीक्षण के दौरान परिलक्षित कमजोर पहलुओं का समाधानकर व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने में सहयोग करना।
- बाह्य जाँच दल का गठन कर विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का आकलन कराना।
- सीबीईओ निम्नलिखित रिकार्ड संधारण हेतु एज्यूकेशन वॉलन्टियर की सहायता के लिए एक आर.पी. को नामित करें एवं शिविर समाप्ति पर यह समस्त रिकार्ड ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ कार्यालय में संरक्षित करें।

✓ सहायक उपस्थिति पंजिका	✓ बालक/बालिका उपस्थिति पंजिका
✓ अरथाई / स्नाई सामग्री रजिस्टर	✓ विद्यार्थी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना पंजिका
✓ छात्र/छात्रा पोर्टफोलियो	✓ आवक/जावक पंजिका
✓ पी.टी.एम./ प्रशिक्षण आदि रिपोर्ट पंजिका	✓ समय विभाग घंटा
✓ विद्यार्थी आवागमन पंजिका	✓ अगस्त्यक पंजिका
✓ बिल बाउण्डर पंजिका	✓ केश बुक

4. ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ /संस्था प्रधान के दायित्व:-

- शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की प्राप्त संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत/ वार्ड में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की अधिकतम संख्या निर्धारित करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर (आवासीय) हेतु स्थान चयन करना एवं एज्यूकेशन वॉलन्टियर की संख्या का निर्धारण करना तथा एसएमसी के माध्यम से एज्यूकेशन वॉलन्टियर एवं सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर का चयन करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविरों का शत-प्रतिशत निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करना तथा इस दौरान परिलक्षित कमजोर पहलू को दूर कर व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने में सहयोग करना।
- शिविर स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में संस्था प्रधान द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर की समीक्षा हेतु मासिक बैठक का आयोजन एवं रिकार्ड संधारण कराना।
- बाह्य जाँच दल के कार्य में सहयोग करते हुए विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का आकलन कराना।

5. विद्यालय प्रबन्धन समिति के दायित्व:-

- एज्यूकेशन वॉलन्टियर के चयन से पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना एवं एज्यूकेशन वॉलन्टियर तथा सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर का चयन करना।
- शिविर स्थल की एसएमसी के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिदिन विशेष प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित बालक-बालिकाओं एवं एज्यूकेशन वॉलन्टियर की उपस्थिति का प्रमाणीकरण करना एवं शिविर में पंजीकृत विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रति माह उक्त विद्यालय को प्रेषित करना जहाँ उनका नामांकन आयु अनुरूप कक्षा में कराया गया है।
- शिविर स्थल की एस.एम.सी. द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन हेतु आवश्यक सामग्री का नियमानुसार क्रय करना, वित्तीय कार्य हेतु जी.एफ. एण्ड ए.आर. की पालना करना, शिविर हेतु किए गए व्यय एवं प्राप्त अग्रिम राशि का निश्चित समयावधि में समायोजन कराना, उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन एवं अन्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखना।
- शिविर स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में संस्था प्रधान द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर की समीक्षा हेतु मासिक बैठक का आयोजन करना।

6. एज्यूकेशन वॉलन्टियर/ शिक्षक के दायित्व :-

- विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत बालक-बालिकाओं का शिविर प्रारम्भ में कक्षा स्तर निर्धारण हेतु सीसीई पैटर्न के अनुसार लिखित में आकलन कर रिकार्ड संधारण करना।
- पंजीकृत विद्यार्थियों के आकलन अनुसार निर्धारित कक्षा स्तर से आगे की दक्षताओं के विकास के लिए शैक्षिक योजना तैयार कर रिकार्ड संधारित करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत बालक-बालिकाओं का शिविर प्रारम्भ में पोर्टफोलियो तैयार कर प्रतिमाह अपडेट करना।
- अनुपस्थित रहने वाले बालक-बालिकाओं की सूचना सम्बन्धित संस्था प्रधानों को उपलब्ध कराना।
- निर्धारित समस्त अभिलेख संधारण करना।
- शिविर-विद्यार्थियों की शिक्षण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करना।

(8) बजट / मानदेय :-

आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु 6 माही यूनिट कॉस्ट का विभाजन
प्रति विद्यार्थी 6 माही यूनिट कॉस्ट /10,000 तथा प्रति आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर 25 विद्यार्थी

S.No	Items	Per Child Cost (In Rs.)	Per Center Financial Cost (In Rs.)	Remark
1	Non-Recurring Cost			
	Furniture including bedding & Equipments including Kitchen Equipments	800	20000	
	Subtotal (Non-Recurring Cost)	800	20,000	
2	Recurring Cost			
(a)	Maintenance including food charges	5400	1,35,000	Mid Day Meal will be provide under MDM Scheme
(b)	Soap, Toothpaste, Oil etc.	120	3,000	For 6 Months
(c)	Medical care/contingencies	100	2,500	For 6 Months
(d)	Miss. Expenses	100	2,500	For 6 Months
(e)	Honorarium			
(i)	Warden/Education Volunteer	1320	33,000	5500 per month
(ii)	Assistant Education Volunteer	1080	27,000	4500 per month
(iii)	Cook	1080	27,000	4500 per month
	Subtotal (Recurring Cost)	9200	2,30,000	
	Grand Total	10,000	2,50,000	

(9) लेखा सम्बन्धी बिन्दु :-

- पीएबी2024-25 में आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर 6 माह हेतु बजट प्रावधान 10,000/- रुपये प्रति बालक-बालिका रवीकृत किया गया है।
- नियमितरूप से काम आने वाली सामग्री यथा- चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, चार्ट आदि तथा विज्ञान एवं गणित किट की व्यवस्था यथा संभव संबंधित विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाये।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में बालक-बालिकाओं की संख्या के आधार पर अनुपातिक व्यय स्वीकृत होगा। बचत होने की स्थिति में भौतिक लक्ष्य बढ़ाए जा सकेंगे, परन्तु इसकी अनुमति परिषद कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर का सम्पूर्ण व्यय प्रोक्योरमेन्ट निर्देशों के अनुसार शिविर स्थल की एसएमसी द्वारा किया जावेगा।
- निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर बसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। बचत राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ वापिस भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

(10) अन्य निर्देश :-

- इन शिविरों की जिला/ब्लॉक स्तर से सघनमॉनिटरिंग की जाए, ताकि इन शिविरों में अध्ययन करने वाले बालक बालिकाओं की आयु एवं कक्षा स्तर के अनुरूप सीखने की दक्षता विकसित की जा सके।
- क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता हेतु शिविर स्थल के एसएमसी अध्यक्ष, सचिव एवं सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी) व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु अग्रिम राशि के हरतान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख जिला एवं ब्लॉक/एस.एम.सी. (शिविर स्थल) स्तर पर संधारित किए जावें, जिसमें (1) अग्रिम राशि किस उद्देश्य के लिए दी गई है, (2) वास्तव में हुआ व्यय (3) अग्रिम में से हुए व्यय के समायोजन पश्चात् शेष राशि तथा (4) उपयोगिता प्रमाण जारी होने का उल्लेख हो।
- निश्चित अवधि के बाद बिना सक्षम स्वीकृति के विशेष प्रशिक्षण शिविर नहीं चलाये जाएं।

- विशेष प्रशिक्षण शिविर के व्यय बिलों के भुगतान से पूर्व बालक/बालिकाओं की उपस्थिति रजिस्टर से प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करवाई जाकर तथा रागय-रागय पर उच्च अधिकारियों द्वारा किए गये पर्यवेक्षण को ध्यान में रखा जाकर औरत उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
 - विशेष प्रशिक्षण शिविर के समस्त व्यय बिलों पर एसएमसी (शिविर स्थल) के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर अंकित होंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र पर दिनांक एवं डिस्पेंच नम्बर अंकित किए जाए तथा उस पर ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ (सीआरसी) एवं सीवीईओ के प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
 - विशेष प्रशिक्षण शिविर में आवंटित मद अनुसार निर्धारित बजट से अधिक व्यय नहीं किया जाए। अधिक व्यय किए जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाकर वसूली की जाएगी।
 - अनावश्यक भुगतान रोके जाने एवं उसी वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं होने पर, अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
 - संलग्न परिशिष्टानुसार विद्यालय/ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकल रूप से जिला उपयोगिता प्रमाण पत्र कर परिषद का प्रेषित करें।
- विशेष – परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यालय तीन दिवस में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक/पीईईओ, यूसीईईओ/विद्यालय को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(11) जिलावार सत्र 2024-25 के लिये प्रावधित लक्ष्य – जिला बांसवाडा में 100 विद्यार्थियों के लिये बजट का प्रावधान किया गया है।

परिशिष्ट 1

..... विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन प्रस्ताव

(प्रस्ताव सीआरसीएफ अपने क्षेत्र की एस.एम.सी. से तैयार कराकर CBEO (मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) को एवं CBEO द्वारा CDEO/ADPC को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा।)

1. नाम जिला :- ब्लॉक- सीआरसी -
2. स्थान का नाम, जहाँ शिविर संचालित किया जाएगा - शिविर का प्रकार - आवासीय
3. शिविर संचालन करने वाली एस.एम.सी. का नाम - अवधि - 6 माह
4. विवरण-

सूची

क.सं.	नाम बालक/बालिका	पिता का नाम	जन्म तिथि	बास स्थान का नाम	VER / WERमें दर्ज क्रमांक	हाउस होल्ड सर्वे में दर्ज क्रमांक	विद्यालय का नाम जिसमें नामांकित कराया गया है।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि-

- (1) ये सब बालक/बालिकायें हाउस होल्ड सर्वे में शिक्षा से वंचित बालक-बालिका के रूप में चिह्नित हैं।
- (2) विशेष प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से सूची में अंकित बालक/बालिकाओं को शैक्षिक दक्षता विकसित करवाकर शिक्षा की मुख्यधारा में वास्तविक नामांकन सुनिश्चित किया जाना है।

हस्ताक्षर
सीवीईओ

हस्ताक्षर
सीआरसी

हस्ताक्षर
शिविर स्थल एसएमसी अध्यक्ष

पंजीयन प्रपत्र एवं प्रोफाइल
प्रपत्र-1

आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रारम्भ होने से पूर्व शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं के नामांकन वाले विद्यालय में भरा जाये।

1. जिला
2. ब्लॉक/पंचायत समिति
3. ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम
4. ग्राम का नाम
5. बालक/बालिका का नाम
6. पिता/माता का नाम
7. जन्म दिनांक
8. वर्ग - SC/ST/OBC/Minority/Gen..... लिंग.....
9. पूर्व में अनामांकित/ ड्रॉप आउट यदि ड्रॉप आउट है तो अन्तिम कक्षा विद्यालय
10. बालक/बालिका को आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित करने वाले विद्यालय का नाम कक्षा
11. वास्तविक दक्षता जाँच अनुसार कक्षा स्तर
12. बालक/बालिका के निवास स्थान का पता विद्यालय की दूरी (ज़ड में)
13. आवासीय विशेष प्रशिक्षण स्थल का नाम
14. मैं उपर्युक्त विवरणानुसार आयु अनुरूप कक्षा स्तर की दक्षता विकसित करने हेतु अपने पुत्र/ पुत्री को आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में रखने हेतु सहमत हूँ।

पासपोर्ट
साईज का फोटो

हस्ताक्षर/अभिभावक

15. जाँच के उपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालक/बालिका आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (6 माह) में प्रवेश लायक है एवं इसका नाम CTS Iaca/kh VER/ WER में क्र.सं. पर दर्ज है एवं दोहरा नामांकन नहीं है।

दिनांक

हस्ताक्षर
शिविर स्थल एस.एम.सी. सचिव
(संस्था प्रधान)

हस्ताक्षर
अध्यक्ष एस.एम.सी.

हस्ताक्षर
सीआरसी

हस्ताक्षर
सीबीईओ

प्रपत्र-2

(विशेष प्रशिक्षण शिविर स्थल पर एज्युकेशन वॉलन्टियर द्वारा भरा जायेगा)

1. शिक्षा से वंचित रहने के कारण :-
2. आंकलन (प्रतिमाह भरा जावे) :-
(a) विषयगत:-

विषय	प्रवेश के समय (कक्षा अंकित करें)	प्रथम मासिक टेस्ट के बाद	द्वितीय मासिक टेस्ट के बाद	तृतीय मासिक टेस्ट के बाद	अन्तिम आंकलन	एज्युकेशन वॉलन्टियर द्वारा अपनाये गये उपचारात्मक मापदण्ड
भाषा						
गणित						
पर्यावरण						
सामाजिक विज्ञान						
कला शिक्षा/ शास्रिक शिक्षा						

*A अच्छा, B संतोषजनक, C सुधार अपेक्षित

(b) उपस्थिति:-

कुल कार्य दिवस	प्रथम माह की उपस्थिति	द्वितीय माह की उपस्थिति	तृतीय माह की उपस्थिति	योग

3. मैनस्ट्रिमिंग का विवरण (विशेष प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद) :-
1. विद्यालय :-
2. कक्षा :-
3. प्रवेश क्रमांक एवं दिनांक :-
4. मैनस्ट्रिमिंग नहीं होने की स्थिति में कारण :-

हस्ताक्षर
एज्युकेशन वॉलन्टियर

हस्ताक्षर
शिविर स्थल संस्था प्रधान

परिशिष्ट 3

एजुकेशन वालिन्टियर- अभिभावक बैठक रजिस्टर प्रपत्र

1. विद्यार्थियों का निम्न विवरण तैयार करें:-

क्र.सं.	नाम	वर्षा	द्विमासिक कुल उपस्थिति	अध्ययन प्रगति	समस्या विवरण

2. अन्य चर्चा के बिन्दुओं का विवरण :-

हस्ताक्षर अभिभावक	हस्ताक्षर SMC अध्यक्ष	हस्ताक्षर SMC सचिव	हस्ताक्षर EV/ वार्डन

परिशिष्ट 4

एजुकेशन वालिन्टियर द्वारा अभिभावक से किए गए सम्पर्क का रजिस्टर

क्र. सं.	सम्पर्क की दिनांक	बालक- बालिका का नाम	अभिभावक का नाम एवं मोबाईल नम्बर	संपर्क का उद्देश्य	सम्पर्क के दौरान हुई वार्ता का संक्षिप्त विवरण	अभिभावक के हस्ताक्षर	एजुकेशन वालिन्टियर के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 5

बालक/बालिकाओं का आवागमन का रजिस्टर

क्र. सं.	बालक/ बालिका का नाम	शिविर स्थल से जाने की दिनांक	शिविर स्थल से जाने का कारण	विद्यार्थी से संबंध	ले जाने वाले के हस्ताक्षर	आने की तिथि एवं समय	हस्ताक्षर एजुकेशन वालिन्टियर

परिशिष्ट 6

आगन्तुक रजिस्टर

क्र. सं.	दिनांक	आगन्तुक का नाम	आगन्तुक का पता एवं मोबाईल नम्बर	किससे मिलने आये	उससे संबंध	आने का कारण	आने का समय	जाने का समय	हस्ताक्षर आगन्तुक	हस्ताक्षर एजुकेशन वालिन्टियर

परिशिष्ट 7

बाह्य मूल्यांकन परिणाम प्रपत्र

शिविर का प्रकार:- शिविर की अवधि

शिविर स्थल एस.एम.सी. शिविर प्रारम्भ दिनांक

क्र. सं.	नाम बालक- बालिका	विद्यालय का नाम जिसमें आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाया गया।	शिविर प्रारम्भ में बालक-बालिका की दक्षता अनुरूप कक्षा	शिविर समाप्ति पर बालक-बालिका की दक्षता अनुरूप कक्षा

हस्ताक्षर
आर.पी.
(सीबीईओ द्वारा नामित)

हस्ताक्षर
नोडल संस्था प्रधान/ PEO

हस्ताक्षर
मुख्य शैक्षिक शिक्षा अधिकारी / प्रतिनिधि

आयु अनुरूप कक्षा की दक्षता स्तर विकसित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिए जाने वाले बालक-बालिकाओं का विवरण (शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु) परिशिष्ट 8

(हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र-2 के अनुसार व्यक्ति)

क्र. सं.	घर संख्या	पौर / वार्ड	शिविर/ वासस्थान	गम बालक / बालिका	शाला का नाम	जन दिनांक	आयु अनुसूची	शिक्षण का नाम जहाँ नामांकित हुआ	शिक्षण का शाला दर्पण / आईटेक पोर्टल का कोड	नामकरण क्रमांक (एस.अर. क्रमांक)	प्रवेश की तिथि	कक्षा की सीमा अनुसार शाला स्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

शिविर प्रकार			शिविर स्थल		शिविर सभा के सदस्य/अध्यक्ष/सहायक के अलावा पर शिक्षण कक्षा में केन्द्रीयीकरण करने के लिए	केन्द्रीयीकरण की तिथि
आवासीय	गैर आवासीय		विद्यालय	अन्यत्र		
6 माह	3 माह	6 माह	17	18	19	20
14	15	16				

हस्ताक्षर
सीआरसीएफ

हस्ताक्षर
संबंधित संस्था प्रधान

हस्ताक्षर
शिक्षक / EV

परिशिष्ट 9

शिक्षा से वंचित बच्चों हेतु संचालित आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर ब्लॉक स्तरीय उपयोगिता प्रमाण-पत्र

जिले का नाम

ब्लॉक का नाम

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024-25 में ब्लॉक में आवासीय विशेष प्रशिक्षण संचालित कर बालक बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों को रुपये जारी किये गये। उपयोग की गई राशि..... है।

क्र.सं.	शिविर संचालन करने वाली एलएनटी/एलबीएनटी का नाम	शिविर से लाभान्वित बच्चों की संख्या		आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु			बि.दि.
		बालक	बालिका	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय



शिक्षा से वंचित बच्चों हेतु संचालित आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर
जिला स्तरीय उपयोगिता प्रमाण-पत्र

जिले का नाम

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024-25 में शिक्षा से वंचित बच्चों हेतु संचालित आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों की राशि रु. जिले को प्राप्त हुए हैं, जिसमें से राशि रु. का उपयोग करते हुए माह के आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालित किये गये। शिविरों से शिक्षा से वंचित बच्चों को लाभान्वित कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया।

हस्ताक्षर
अति० जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा

हस्ताक्षर
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना
समन्वयक
समग्र शिक्षा

प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(अतिरिक्त चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक:- रा.प्रा.शि.प./जय/वै.शि./ /आ.वि.प्र.शि./2024-25/1634

दिनांक- 20-6-24

प्रतिलिपि:- निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक राज० स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राज०, बीकानेर।
4. निजी सहायक अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम एवं द्वितीय, राज० स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, लेखा शाखा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, उपायुक्त/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, राज० स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, बांसवाडा।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, बांसवाडा।
9. रक्षित पत्रावली।